



बस्तर में कौशल विकास के कार्यक्रमों में संस्थागत समन्वय की भूमिका

¹सुषमा देवांगन, ²डॉ. चंदन सिंह (सहायक प्राध्यापक)

¹शोधार्थी, ²पर्यवेक्षक

¹⁻²विभाग: कॉमर्स, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़

सार

बस्तर जिले में कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संस्थागत समन्वय, जनसंपर्क प्रयासों और विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी युवाओं के रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी, निजी और नागरिक समाज के प्रयासों का समन्वय आवश्यक है। सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीजीकेवाई) के माध्यम से प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की साझेदारियाँ, जैसे एनएमडीसी और सीएसआर कार्यक्रम, आदिवासी युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान कर रही हैं, जिससे वे आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि, इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए बुनियादी ढांचे, जागरूकता और संस्थागत समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: बस्तर, कौशल विकास, आदिवासी युवा, रोजगार, संस्थागत समन्वय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सीएसआर भागीदारी, प्रशिक्षण एजेंसिया।

परिचय

बस्तर जिले में आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें स्थिर रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। बस्तर की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और आदिवासी समुदायों के ऐतिहासिक हाशिए पर रहने के कारण, इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत ढांचे, प्रशिक्षण एजेंसियों और समुदायों के बीच समन्वय आवश्यक है। सरकारी योजनाओं, निजी क्षेत्र के योगदान, और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से आदिवासी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

बस्तर में कौशल विकास कार्यान्वयन

बस्तर जिले में कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में संस्थागत भागीदारों, लक्षित जनसंपर्क प्रयासों और विविध कौशल पाठ्यक्रमों का संयोजन शामिल है, जिसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। जिले की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और हाशिए पर रहने के इतिहास को देखते हुए, इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रणालियों की आवश्यकता है जो सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के प्रयासों को आपस में जोड़ें।

संस्थागत ढांचा और प्रशिक्षण एजेंसियां

बस्तर में कौशल विकास पहलों को एक बहुस्तरीय संस्थागत ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें सरकारी विभाग, विशेष प्रशिक्षण एजेंसियां और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) भागीदार शामिल हैं। सरकारी स्तर पर, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीजीकेवाई) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को राज्य मिशन निदेशालयों और जिला कौशल प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो अक्सर राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण और नामांकन में प्राथमिकता प्रदान करते



हैं। सरकारी निकायों के अलावा, कॉर्पोरेट और सीएसआर पहलों ने बस्तर के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) के साथ साझेदारी करके बस्तर और पड़ोसी दंतवाड़ा जिले के कई सौ जनजातीय युवाओं को उद्योग से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें बुनियादी और उन्नत योग्यताएं शामिल हैं और सफल उम्मीदवारों के लिए गारंटीकृत नौकरी प्लेसमेंट (जैसे, मशीन ऑपरेटर और प्लास्टिक प्रसंस्करण पाठ्यक्रम) भी शामिल हैं। यह प्रशिक्षण सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। इस प्रकार की साझेदारियों का उद्देश्य न केवल तकनीकी दक्षताओं का निर्माण करना है, बल्कि प्रशिक्षण को पारंपरिक आजीविका के स्रोतों से इतर आय के अवसरों से जोड़ना भी है, जिससे आदिवासी युवाओं के लिए आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता में योगदान मिल सके।

इसके अलावा, दीर्घकालिक संस्थागत निवेश जैसे कि नगरनार, बस्तर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जिसकी स्थापना एनएमडीसी द्वारा 2010–11 में समर्पित बुनियादी ढांचे और कार्यशालाओं के साथ की गई थी, मूलभूत कौशल केंद्रों के रूप में कार्य करता है जो वेल्डिंग और राजमिस्त्री जैसे व्यवसायों में व्यावहारिक कार्यशालाओं के साथ कक्षा शिक्षण को जोड़ता है, और विशेष रूप से इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और वंचित परिवारों को प्राथमिकता देता है (पॉवेल और सोल्गा, 2010)। ये सरकारी और गैर-सरकारी निकाय एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जो सार्वजनिक योजनाओं, निजी भागीदारी और विशेष प्रशिक्षण संस्थानों को एकीकृत करती है – इन सभी का उद्देश्य बस्तर में आदिवासी युवाओं के बीच कौशल अंतर को कम करना और रोजगार क्षमता में सुधार करना है।

जनजातीय युवाओं के बीच कवरेज और पहुंच

बस्तर में कौशल विकास संबंधी पहलों का दायरा शैक्षिक, आर्थिक और भौगोलिक असमानताओं से परे आदिवासी युवाओं तक पहुंचने के समन्वित प्रयासों को दर्शाता है। जिला कौशल प्रकोष्ठों और ग्रामीण विकास कार्यालयों के माध्यम से पारंपरिक रूप से किए जाने वाले प्रयासों से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं में नामांकन को बढ़ावा मिलता है। ये योजनाएँ अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित पृष्ठभूमियों सहित ग्रामीण परिवारों के युवाओं के लिए सुलभ हैं। ये कार्यक्रम 15–35 वर्ष की आयु के युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण, प्रमाणन और प्रशिक्षण के बाद रोजगार सहायता प्रदान करके बाधाओं को कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे ये उन आदिवासी समुदायों के लिए उपयुक्त बन जाते हैं जिनकी पारंपरिक शिक्षा और रोजगार नेटवर्क तक सीमित पहुंच है।

बस्तर में बुनियादी ढांचे की कमियों और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने के कारण अक्सर जागरूकता फैलाने के लिए अतिरिक्त स्थानीय रणनीतियों की आवश्यकता होती है। मोबाइल नामांकन अभियान, सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी और सीएसआर द्वारा वित्त पोषित रोड शो आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण कैलेंडर और पात्रता मानदंडों के बारे में जागरूक करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एनएमडीसी/सीआईपीईटी कार्यक्रम के तहत बस्तर के ग्राम पंचायत कार्यालयों में आयोजित नामांकन शिविरों ने दूरदराज के गांवों के आदिवासी युवाओं को उपलब्ध पाठ्यक्रमों और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी, जिससे उन समूहों की भागीदारी बढ़ी जो अक्सर औपचारिक कौशल विकास कार्यक्रमों से वंचित रहते हैं। ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और आदिवासी परिषदों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता, विश्वास बनाने और युवाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लंबे समय से चली आ रही असुरक्षा और जागरूकता की कमी ने ऐतिहासिक रूप से स्कूलों और कार्यक्रमों में उपस्थिति को सीमित रखा है।

प्रदान किए गए कौशलों की प्रकृति



बस्तर में कौशल प्रशिक्षण को उद्योग की प्रासंगिकता और स्थानीय आर्थिक उपयोगिता के बीच संतुलन बनाकर तैयार किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आदिवासी युवा ऐसी क्षमताएं विकसित करें जो रोजगार योग्य और प्रासंगिक दोनों हों। आमतौर पर प्रदान किए जाने वाले कौशलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **तकनीकी और औद्योगिक कौशल:** एनएमडीसी-सीआईपीईटी साझेदारी जैसी पहलों के तहत मशीन संचालन, प्लास्टिक प्रसंस्करण, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग जैसे पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। ये तकनीकी कौशल औद्योगिक मांग के अनुरूप हैं और विनिर्माण और कारखाने के काम के लिए रास्ते खोलते हैं, साथ ही सफल समापन पर गारंटीकृत प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान करते हैं (टीटेल, 1982)।
- **व्यापार और शिल्प:** नागरनार स्थित आईटीआई जैसे प्रशिक्षण केंद्रों में, युवाओं को वेल्डिंग, राजमिस्त्री, विद्युत कार्य और यांत्रिक प्रणालियों जैसे व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है – कक्षा में सीखने के साथ-साथ कार्यशाला में व्यावहारिक अनुभव का मिश्रण करके रोजगार योग्य कौशल में दक्षता और आत्मविश्वास दोनों का निर्माण किया जाता है।
- **सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल साक्षरता:** कई कार्यक्रमों में संचार, डिजिटल साक्षरता और बुनियादी कंप्यूटर कौशल पर मॉड्यूल शामिल हैं ताकि सेवा और आईटी-सक्षम क्षेत्रों में रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके, यह मानते हुए कि ग्रामीण रोजगार बाजारों में भी डिजिटल दक्षता तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है।
- **उद्यमिता और आजीविका कौशल:** तकनीकी दक्षताओं के अलावा, कुछ योजनाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता विकास, वित्तीय साक्षरता और लघु व्यवसाय प्रबंधन पर मॉड्यूल को एकीकृत करती हैं – विशेष रूप से आदिवासी युवाओं के बीच जो पारंपरिक शिल्प, वन-आधारित उत्पादों या समुदाय-आधारित उद्यमों को व्यवहार्य आजीविका के रूप में उपयोग करना चाहते हैं।

विविध कौशल सेटों पर जोर देना एक रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण युवाओं को केवल प्रमाण पत्र प्रदान न करे बल्कि उन्हें व्यावहारिक, बाजार-उन्मुख क्षमताएं प्रदान करे जो बस्तर जिले के भीतर और बाहर स्थिर रोजगार, आय वृद्धि और बेहतर सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में तब्दील हो सकें।

कौशल विकास कार्यक्रमों के आर्थिक परिणाम

भारत में कौशल विकास पहलों-जिनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीजीकेवाई) जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं-ने प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार, आय स्तर और व्यावसायिक गतिशीलता पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। ये परिणाम क्षेत्र, क्षेत्र और कौशल प्रशिक्षण तथा श्रम बाजार की मांग के बीच संबंध की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न होते हैं, लेकिन समग्र रुझान आर्थिक भागीदारी में महत्वपूर्ण योगदान का संकेत देते हैं, विशेष रूप से वंचित समूहों के बीच।

रोजगार सृजन और स्वरोजगार

कौशल विकास कार्यक्रमों ने युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाकर और उनकी दक्षताओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, पीएमकेवीवाई के तहत भारत भर में 1.63 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे विनिर्माण, सेवा, स्वास्थ्य सेवा, आईटी और खुदरा क्षेत्रों में रोजगार क्षमता को बढ़ावा मिला है, और विशेष

रूप से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) जैसे वंचित समूहों को भी शामिल किया गया है। पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण नियोक्ताओं के बीच उच्च नियुक्ति इरादों से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय मूल्यांकन से पता चलता है कि अधिकांश फर्मों ने कार्यक्रम में प्रशिक्षित श्रमिकों को नियुक्त करने का इरादा किया है, जो श्रम बाजार में बेहतर स्वीकृति का संकेत देता है। डीडीजीकेवाई जैसी योजनाओं के तहत संरचित प्रशिक्षण से कुछ क्षेत्रीय संदर्भों में भाग लेने वाले ग्रामीण युवाओं के बीच रोजगार दर में वृद्धि हुई है, हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में विस्तृत दीर्घकालिक डेटा सीमित है। ग्रामीण बिहार में एक अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने अल्पावधि में रोजगार दर में उल्लेखनीय वृद्धि की, हालांकि समय के साथ प्रतिधारण और नौकरी की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं बनी रहीं। औपचारिक रोजगार के अलावा, कौशल कार्यक्रमों ने स्वरोजगार के रास्ते भी तैयार किए हैं, विशेष रूप से जहां प्रशिक्षण में उद्यमशीलता और सूक्ष्म उद्यम मॉड्यूल शामिल हैं, जिससे आजीविका विविधीकरण और मौसमी श्रम पर निर्भरता में कमी आई है।

व्यापक पहुंच के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में असमानता बनी हुई है: आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन कुछ मामलों में स्थायी रोजगार में परिवर्तन मामूली है, पीएमकेवीवाई के पहले के संस्करणों के तहत रोजगार में प्रवेश करने वाले प्रशिक्षित उम्मीदवारों की रोजगार दर लगभग 43 प्रतिशत बताई गई है – जो मजबूत उद्योग संबंधों और अनुवर्ती समर्थन की आवश्यकता की याद दिलाती है (कैरी एट अल., 2015)।

आय वृद्धि और वित्तीय स्थिरता

कौशल विकास कार्यक्रमों में भागीदारी लाभार्थियों की आय में वृद्धि और वित्तीय स्थिरता में सुधार से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। सरकारी मूल्यांकन अध्ययनों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अक्सर गैर-भाग लेने वालों की तुलना में मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हैं, और कुछ समूहों ने प्रशिक्षण के बाद पहले छह महीनों के भीतर आय में दो अंकों की प्रतिशत वृद्धि का अनुभव किया है।

इस आय वृद्धि में कई कारक योगदान देते हैं—

- **बाजार के लिए प्रासंगिक कौशल का अधिग्रहण:** उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करने से युवाओं को अकुशल या अस्थायी श्रम पदों की तुलना में अधिक वेतन वाली नौकरियां प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- **प्रमाणन और औपचारिक मान्यता:** राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले कार्यक्रम नियोक्ताओं के बीच विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर वेतन और लाभ मिलते हैं।
- **औपचारिक रोजगार के अवसरों तक पहुंच:** डीडीयू-जीकेवाई या पीएमकेवीवाई जैसे कार्यक्रमों में निहित प्लेसमेंट सहायता और उद्योग संबंध वेतन-आधारित रोजगार या संरचित उद्यमों में सुगम प्रवेश की सुविधा प्रदान करते हैं (टिल्सले, 1997)।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों ने यह प्रदर्शित किया है कि कौशल विकास से परिवारों की आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण या अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे युवाओं के लिए। उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण के बाद के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जिन प्रशिक्षुओं ने सूक्ष्म उद्यमों, स्वरोजगार उपक्रमों या हस्तशिल्प और कृषि-प्रसंस्करण जैसी मूल्यवर्धित उत्पादन गतिविधियों में अपने कौशल का उपयोग किया, उनके परिवारों की आय लगभग दोगुनी हो गई। आय पर तात्कालिक प्रभावों के अलावा, बढ़ी हुई आय निम्नलिखित तरीकों से वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन



में भी योगदान देती है—

- परिवारों को बचत करने की अनुमति देना, अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता को कम करना।
- मानव पूंजी में निवेश का समर्थन करना, जिसमें बच्चों की शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं, जिनके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ हैं।
- यह मौसमी या अनियमित आय चक्रों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो विशेष रूप से उन आदिवासी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले निर्वाह कृषि या वन-आधारित कार्य पर निर्भर थे।

आय में सुधार की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है—

- **प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता:** स्थानीय श्रम बाजार की मांग से मेल खाने वाले और व्यावहारिक अनुभव आधारित मॉड्यूल शामिल करने वाले कार्यक्रम उच्च प्रतिफल देने की प्रवृत्ति रखते हैं।
- **प्रशिक्षण के बाद सहायता:** रोजगार दिलाने में सहायता, मार्गदर्शन और अनुवर्ती परामर्श से स्थायी रोजगार और आय वृद्धि की संभावना काफी बढ़ जाती है।
- **बाजारों और पूंजी तक पहुंच:** स्वरोजगार या उद्यमशीलता की गतिविधियों में लगे युवाओं के लिए, कौशल को आय में बदलने के लिए ऋण की उपलब्धता, बाजार संपर्क और स्थानीय बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है।

शोध से पता चलता है कि कौशल विकास कार्यक्रम न केवल अल्पकालिक आय बढ़ाते हैं, बल्कि समय के साथ धीरे-धीरे सामाजिक उन्नति में भी योगदान देते हैं। प्रशिक्षित युवा अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने संपर्क बढ़ाते हैं और अधिक वेतन वाली नौकरियों में रोजगार पाने की क्षमता में सुधार करते हैं। इस दृष्टि से, कौशल विकास कार्यक्रम तत्काल आर्थिक उत्थान और दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण, दोनों के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए जो आय सृजन में संरचनात्मक बाधाओं का सामना करते हैं।

प्रशिक्षित युवाओं की व्यावसायिक गतिशीलता

कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल रोजगार बढ़ाना है, बल्कि व्यावसायिक गतिशीलता को सुगम बनाना भी है, जिससे युवा कम उत्पादकता वाले, अनौपचारिक या निर्वाह क्षेत्रों से निकलकर उच्च मूल्य वाले रोजगार या उद्यमशीलता की भूमिकाओं में प्रवेश कर सकें। साक्ष्य बताते हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए सुलभ व्यवसायों की सीमा का विस्तार कर सकता है: प्रशिक्षित युवाओं के अपने अप्रशिक्षित साथियों की तुलना में औपचारिक वेतनभोगी रोजगार या कुशल भूमिकाओं में जाने की अधिक संभावना होती है, विशेष रूप से जब कार्यक्रमों में उद्योग प्रमाणन, शिक्षता या पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) जैसे घटक शामिल होते हैं। रोजगार के प्रकार के अलावा, व्यावसायिक गतिशीलता कैरियर की प्रगति में भी परिलक्षित होती है, उदाहरण के लिए, प्रमाणित कौशल वाले व्यक्तियों के पास बेहतर वेतन पर बातचीत करने या विभिन्न क्षेत्रों में समान स्तर पर स्थानांतरण करने में अक्सर अधिक लाभ होता है। शोध से पता चलता है कि कौशल कार्यक्रम विशिष्ट नियोजन आवश्यकताओं के लिए उम्मीदवारों को तैयार करके संरचनात्मक विसंगतियों को कम कर सकते हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षण आपूर्ति और वास्तविक श्रम बाजार मांग के बीच विसंगतियां अभी भी एक चुनौती बनी हुई हैं (कंबौरोव एट अल., 2020)।



भारत में कौशल विकास पहलों ने रोजगार सृजन, आय वृद्धि और व्यावसायिक गतिशीलता में स्पष्ट रूप से योगदान दिया है, लेकिन आर्थिक प्रभाव की सीमा भिन्न-भिन्न है। श्रम बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, रोजगार सहायता को मजबूत करना और दीर्घकालिक करियर पथों पर नजर रखना इन योजनाओं के आर्थिक परिणामों को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए जो अतिरिक्त संरचनात्मक बाधाओं का सामना करते हैं।

निष्कर्ष:

बस्तर जिले में कौशल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन आदिवासी युवाओं के लिए आर्थिक अवसरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि, इन योजनाओं की सफलता के लिए संस्थागत समन्वय, जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। सरकारी, निजी और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से आदिवासी युवाओं की रोजगार क्षमता और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की जरूरतों के अनुसार और स्थानीय संदर्भ में और अधिक उपयुक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये युवा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और रोजगार प्राप्त कर सकें।

संदर्भ

- बिस्वाल, पी., साहू, सी.के., और मिश्रा, एन. (2024). व्यावसायिक प्रशिक्षण उपायों में भारत के आदिवासी युवाओं की भागीदारी: साहित्य की एक व्यवस्थित समीक्षा। मूल्यांकन और कार्यक्रम योजना, 109, 102530.
- क्लेग, बी., रीस, सी., और टिटचेन, एम. (2010). गुणवत्ता प्रबंधन प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का अध्ययन। टीक्यूएम जर्नल, 22(2), 188–208.
- डैश, ए., मोहंती, ए., और डैश, एम. (2025). आदिवासी युवा प्रशिक्षण और विकास में चुनौतियाँ और अवसर: ओडिशा कहाँ खड़ा है। सिद्धांत— निर्णय लेने की पत्रिका, 25(2), 11–17.
- जोहारी, एस., और झा, के.एन. (2019). कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्माण श्रमिकों को आकर्षित करने की चुनौतियाँ। इंजीनियरिंग निर्माण और वास्तुकला प्रबंधन, 27(2), 321–340.
- कासी, ई., और साहा, ए. (2021बी). हाशिए पर धकेले गए: कोविड-19 के दौरान भारत में आदिवासी युवाओं के बीच संकट। क्रिटिकल सोशियोलॉजी, 47(4–5), 641–655.
- कटोच, एस., और सिंह, टी. (2024). भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में चुनौतियाँ और अवसर: एक समीक्षा जर्नल-आर्टिकल. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (आईजेसीआरटी), 12(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट'जेक्ट), ए356–ए357.
- यालिया, ए.सी. एन.एल., जे.पी. ए. एन. (2017, 31 दिसंबर). छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आदिवासी पिछवाड़े मुर्गी पालकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

